



23056

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

कार्यालय ओदश

शासनादेश संख्या- 968/सत्तर-2-2013-18 (99)/2013, दिनांक: 30 मई, 2013 तथा शासनादेश संख्या-602/सत्तर-4-2015-1212/2014, दिनांक: 15 जुलाई, 2015 में निहित प्राविधान कि 'सभी अनुदानित महाविद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन संविदा पर रखे गये कार्यरत् शिक्षकों से कराया जा सकता है।' तथा 'संविदा पर तैनात शिक्षकों से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जा सकता है।' के परिपेक्ष्य में कुलपति महोदय द्वारा यह आदेश प्रदान किये गये है कि आवश्यकता पड़ने पर संविदा-शिक्षकों की पाँच वर्ष की अनवरत् सन्तोषजनक सेवा जो विश्वविद्यालय से शिक्षक-अनुमोदनोपरान्त की गयी हो तथा जिन्हें शासनदेशों के अनुरूप निरन्तर वेतन भुगतान किया जाता रहा हो, ऐसे संविदा पर नियुक्त शिक्षकों से उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन कराया जा सकता है तथा आवश्यकता के परिपेक्ष्य में उन्हें प्रयोगात्मक परीक्षाओं हेतु अन्तः परीक्षक (Internal Examiner) नियुक्त किया जा सकता है।

परीक्षा नियंत्रक

संख्या:- प0नि0/...208/2016... दिनांक:-...17/5/2016

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित।

1. कार्यालय अधीक्षक, कुलपति कार्यालय, को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
2. कुलसचिव।
3. वित्त अधिकारी।
4. उपकुलसचिव (शैक्षिक)।
5. उपकुलसचिव गोपनीय।
6. प्राचार्य/प्राचार्या, समस्त सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्त पोषित संस्थान/महाविद्यालय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
7. समन्वयक, बी0एड0 प्रयोगात्मक परीक्षा 2014-15।
8. गार्ड फाइल।

Agenda 2015
P. Upadhyay
College Registrar
immediately
COE

परीक्षा नियंत्रक